संख्या- 139 /2025 / 1082 /चार-2025 - 1688649

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 27 मार्च, 2025

विषय:- कल्चरल क्लब योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 26 राजकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में 'कल्चरल क्लब' के अन्तर्गत सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन हेतु प्रथम किश्त की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया कुलसचिव, भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-4072/भा0सं0वि0वि0-5(14)/2023, दिनांक 19 मार्च, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा कल्चरल क्लब योजना हेतु चयनित निम्नलिखित 26 राजकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों को शैक्षिक सत्र 2024-25 में प्रथम किश्त के रूप में कुल रु0 13.00 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है:-

क्र.सं.	आवेदित महाविद्यालयो का नाम
1	बाबा बरूआ दास पी०जी० कालेज, परूइआ आश्रम, अम्बेडकर नगर।
2	कृष्णा देवी कर्ल्स डिग्री कालेज, राम नगर, आलमबाग, लखनऊ।
3	महिला महाविद्यालय, बस्ती
4	राम नगर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामनगर, बाराबंकी।
5	महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हरदोई।
6	के०सु० साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या।
7	राजकीय महाविद्यालय, गोसाईखेड़ा, उन्नाव।
8	कमला नेहरू भौतिक एवं समाजिक विज्ञान संस्थान, सुल्तानपुर।
9	भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, महाराजगंज।
10	बप्पा श्री नारायण वोकेशनल पी०जी० कॉलेज, लखनऊ
11	राजकीय महाविद्यालय, उन्नाव
12	शशिभूषण बलिका विद्यालय डिग्री कॉलेज, लखनऊ
13	नवयुग कन्या महाविद्यालय, राजेन्द्र नगर, लखनऊ।
14	रामजी सहाय पी०जी० कॉलेज, रूद्रपुर, देवरिया।
15	अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज, लखनऊ।
16	पं० दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लखनऊ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

17	महाराजा बिजली पासी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, असियाना, लखनऊ।
18	इस्माइल नेशनल महिला पी०जी० कॉलेज, मेरठ।
19	विद्यान्त हिन्दु डिग्री कॉलेज, लखनऊ।
20	मुमताज पी०जी०कॉलेज, लखनऊ
21	खुनखुनजी गर्ल्स डिग्री कॉलेज, लखनऊ।
22	पी०जी० कॉलेज मलिकपुरा गाजीपुर।
23	वीर बहादुर सिंह राजकीय महाविद्यालय, कम्पेयरगंज, गोरखपुर।
24	रघुनाथ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, डब्ल्यू के रोड, मेरठ।
25	राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सिरसागंज, फिरोजाबाद।
26	राजकीय महाविद्यालय जक्खिनी, वाराणसी।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार कल्चरल क्लब योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 26 राजकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में कल्चरल क्लब स्थापना एवं उसके अन्तर्गत सांस्कृतिक गतिविधियों के संपादन हेतु प्रथम किश्त (रू0 50,000.00 प्रति महाविद्यालय) दिये जाने हेतु **रू0 13.00 लाख (रूपये तेरह लाख मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रदेश के समस्त राजकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में 'कल्चरल क्लब' की स्थापना के संबंध में शासनादेश संख्या- 1992/चार-2023 दिनांक 16 जून, 2023 एवं शासनादेश संख्या- 656-चार-2024- 1688649 दिनांक 27 फरवरी, 2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत स्वीकृति भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ का होगा।

(4) उपरोक्त धनराशि स्वीकृत मदों पर ही व्यय की जायेगी, इसका व्यय अन्य मदों पर कदापि नहीं किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

(5) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(6) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृत धनराशि को राजकोष से आहरित कर वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यदायी संस्था- योजना की नोडल संस्था भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय,

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लखनऊ को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि आहरित कर बैंक/पोस्ट आफिस/ पी0एल0ए0 में जमा नहीं की जायेगी।

(8) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र संस्कृति निदेशालय तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-16-कल्चरल क्लब की स्थापना- 42-अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या- 139 /2025 / 1082 (1) /चार-2025- 1688649 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. कुलसचिव, भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5. वित्त नियंत्रयक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।